

30/3/26

वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन करने पर पत्रावली
आज सुनवाई पर ली गई। वकील प्रार्थी
ने प्रकरण में Not Press किया। चूंकि
वकील प्रार्थी प्रकरण को आगे चलाना
नहीं चाहते हैं, लिहाजा प्रकरण NOT
PRESS में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल सुमार लेकर नंबर से
कम हो।



सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली